समाहरणालय, मुंगेर।

(कल्याण शाखा)

पत्रांक............/क0,दिनांक............

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
बिहार पटना।

विषय :- अम्बेदकर आवासीय विद्यालय में विहित प्रक्रिया के अनुसार मेस संचालन हेतु, निविदा प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस जिला अन्तर्गत संचालित अम्बेदकर आवासीय विद्यालय में विहित प्रक्रिया के अनुसार मेस संचालन हेतु राज्यस्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन कराने की कृपा की जाय। सुलभ प्रसंग हेतु निविदा की पाँच प्रतियाँ एवं CD संलग्न कर भेजा जा रहा है।

विश्वासभाजन,

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

ज्ञापांक......452....../दिनांक...22/06/18

प्रतिलिपि :- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित। निविदा की प्रति के साथ निदेश है कि प्रमुख हिन्दी एवं उर्दू समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराते हुए जिला स्तर पर वृहत रूप से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को निविदा की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं निदेश है कि निविदा की प्रति जिला के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

22.6.18

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

Archana E:\Bara Babu\Soochana and jansampark 14-06-2018.docx

समाहरणालय मुंगेर।

(कल्याण प्रशाखा)

निविदा आमंत्रण सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, मुंगेर में आवासीय छात्राओं को निर्धारित मीनू के आधार पर या उससे अच्छी मीनू के अनुसार भोजन एवं नाश्ता की आपूर्ति की जानी है। जिसके लिये इच्छूक आपूर्तिकर्त्ता से सील बन्द निविदा जिला कल्याण शाखा, मुंगेर में सूचना प्रकाशन तिथि से 11:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक प्रत्येक कार्य दिवस में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 16.07..2018 के 3:30 बजे अपराह्न तक होगी। उप विकास आयुक्त, मुंगेर की अध्यक्षता में गठित समिति के समय निविदा दिनांक 17.07.2018 के 12:00 बजे अपराह्न में खोली जायगी जिसमें निविदाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रहेगें।

निविदा की शर्तें :-

1 तकनीकी एवं वित्तीय निविदा (TECHNINAL AND FINIANCIAL) अलग-अलग शील्ड/मुहर बन्द लिफाफे में ली जाएगी।

2 निविदा दाताओं को मो0 100000/-(एक लाख मात्र) रुपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रुप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर के पक्ष में भुगतेय हो।

3 तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर, अद्यतन आयकर विवरणी दाखिले करने का साक्ष्य, GST निबंधन एवं अनुभव प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

4 तकनीकी निविदा में सफल निविदाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।

5 तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में कटिंग या ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।

6 निविदाता अथवा संबंधित फॉर्म को इस आशय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना होगा कि उन्हें किसी सरकारी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची मे नहीं डाला गया हो।

7 निविदा स्वीकृति के पश्चात् सफल आपूर्त्तिकर्त्ता को निर्धारित मीनू के आधार पर आवासीय छात्राओं को भोजन एवं नाश्ता कराने का एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा।

8 निविदा में प्रकाशित मीनू के आधार पर प्रति छात्रा प्रतिमाह का दर अंकित करना अनिवार्य है।

9 सफल आपूर्त्तिकर्त्ता को भोजन एवं नाश्ता की सामग्रियों में गुणवत्ता, साफ-सफाई एवं Hygine का अनिवार्य रूप से ध्यान रखना होगा तथा किसी प्रकार त्रुटि पाये जाने पर आपूर्त्तिकर्त्ता पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं भुगतान नहीं किया जाएगा।

10 स्वीकृत निविदाताओ को छोड़कर शेष निविदाताओ को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

11 कोई भी निविदा या दावा मुंगेर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिए जिला कल्याण प्रशाखा, मुंगेर से संपर्क कर सकते हैं एवं विस्तृत जानकारी एवं सामग्रियों की सूची के लिए बेबसाईट http//munger.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

12 विद्यालय में उपस्थित छात्राओं की संख्या के आधार पर आवंटन प्राप्त होने पर ही राशि का भुगतान किया जायेगा।

13 निविदा में सफल उम्मीदवार को आवासीय विद्यालयों की ओर से भोजन बनाने एवं खाने के लिए बर्त्तन वगैरह उपलब्ध कराया जायेगा। रसोईया की व्यवस्था आपूर्त्तिकर्त्ता ही करेगें।

14 आपूर्त्तिकर्त्ता भोजन बनाने में लगने वाले ईंधन आदि का प्रबंध करेगें।

15 उच्चाधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण के दौरान आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा संचालित मेस के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सम्यक समीक्षा कर आपूर्त्तिकर्त्ता के साथ किये गये एकरारनामा को समाप्त करने का अधिकार जिला कल्याण पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

16 निविदा में सफल उम्मीदवार को मेस संचालन हेतु सरकारी दर पर अनुमान्य GST/TDS राशि स्वयं जमा करना होगा। GST/TDS की राशि जमा करने का दायित्व विभाग का नहीं होगा।

17 आवासीय विद्यालय में आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा मेस के सफल संचालन की समीक्षा कर उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक माह के अन्त में आपूर्त्तिकर्त्ता को निर्धारित दर के अनुसार राशि का भुगतान करेगें।

18 सामान्यतः निविदा में सफल उम्मीदवार के साथ एक शैक्षणिक सत्र तक के लिए मेस संचालन का एकरारनामा किया जायेगा। यह एकरारनामा अगले सत्र के लिए तभी नवीकृत किया जा सकेगा, जब आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा मेस संचालित अवधि में कोई प्रमाणित शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।

भोजन एवं नाश्ता का मीनू निम्नवत् है :–

1	नास्ता	दो दिन– पूरी + सब्जी दो दिन– कचौड़ी+सब्जी तीन दिन– फ्राईड राईस+छोला प्रत्येक दिन–गाय का दूध 150मी0 लि0
2	खाना	चावल + दाल + सब्जी + सलाद या पापड़ अथवा भुंजिया
3	शाम का नास्ता	तीन दिन– भरी हुई कचौड़ी /समोसा दो दिन– Boiled egg + मौसमी फल दो दिन– फल मौसमी + भूँजा
4	रात्रि खाना	रोटी + सब्जी + दाल+ खीर/सेवई
	विशेष भोजन	प्रत्येक माह में प्रत्येक रविवार– चिकेन शाकाहारी– पनीर (चिकेन के समतुल्य)

22.6.18

(रामेश्वर पाण्डेय)
उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।